फा.सं.12-2/2016-ई.III.ए
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
व्यय विभाग

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली
07 जुलाई, 2017

कार्यालय ज्ञापन

विषय: केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवाओं में सम्मिलित पदों से भिन्न चिकित्सा पदों के संबंध में प्रैक्टिस बंदी भत्ते की दरों का पुनरीक्षण - सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिश।

अधोहस्ताक्षरी को केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवाओं में सम्मिलित पदों से भिन्न चिकित्सा पदों के लिए स्वीकार्य प्रैक्टिस बंदी भत्ते की विद्यमान दरों के संबंध में इस मंत्रालय के दिनांक 30.08.2008 के का.ज्ञा. सं.7(19)/2008-ई-IIIए का संदर्भ लेने और यह कहने का निदेश हुआ है कि इस मंत्रालय के 25 जुलाई, 2016 के संकल्प सं.1-2/2016-आईसी के पैरा 7 में किए गए प्रावधान के अनुसार, सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित भत्तों (मंहगाई भत्ते को छोड़कर) की दरों के पुनरीक्षण का मामला वित्त सचिव की अध्यक्षता में गठित एक समिति को भेजा गया था और उन पर अंतिम निर्णय लिए जाने तक सभी भत्तों का भुगतान विद्यमान वेतन संरचना (छठे वेतन आयोग पर आधारित वेतन संरचना) में विद्यमान दरों पर इस तरह किया जाना था मानो वेतन 01 जनवरी, 2016 से पुनरीक्षित ही न किया गया हो। तदनुसार, प्रैक्टिस बंदी भत्ते का भुगतान भी दिनांक 30.08.2008 के उक्त कार्यालय ज्ञापन में विनिर्दिष्ट विद्यमान दरों पर किया जाना था।

2. सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर और वित्त सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति की सिफारिश के आलोक में विभिन्न भत्तों की पुनरीक्षित दरों के संबंध में सरकार का विनिश्चय दिनांक 06.07.2017 के संकल्प संख्या 11-1/2016-आईसी के अनुसार अब अधिसूचित कर दिया गया है।

3. तदनुसार, राष्ट्रपति यह विनिश्चय करते हैं कि दिनांक 30.08.2008 के उक्त कार्यालय ज्ञापन में यथा-उल्लिखित प्रैक्टिस बंदी भत्ते की वर्तमान दरों का उपांतरण करते हुए, प्रैक्टिस बंदी भत्ते का भुगतान अब सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर प्रचलित पुनरीक्षित वेतन संरचना में मूल वेतन के 20% की दर पर किया जाएगा जैसा कि केन्द्रीय सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियमावली, 2016 में उल्लेख है, बशर्ते कि मूल वेतन और प्रैक्टिस बंदी भत्ते का जोड़ 2,37,500 रुपए (दो लाख सैंतीस हजार पांच सौ रुपए मात्र) से अधिक न हो। निम्नलिखित शर्तें इन आदेशों के तहत प्रैक्टिस बंदी भत्ते की मंजूरी को विनियमित करेंगी:

(i) पुनरीक्षित वेतन संरचना में "मूल वेतन" शब्द का अभिप्राय केन्द्रीय सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियमावली, 2016 के नियम 3(x) में यथा-परिभाषित "मूल वेतन" से होगा अर्थात्

अमरनाथ सिंह

पुनरीक्षित वेतन संरचना में "मूल वेतन" का अभिप्राय वेतन मैट्रिक्स में निर्धारित लेवल में आहरित वेतन से है।

(ii) प्रैक्टिस बंदी भत्ते को सेवानिवृत्ति लाभों की गणना के साथ-साथ महंगाई भत्ते और अन्य भत्तों, जिनमें वे भत्ते शामिल नहीं हैं जिनके संबंध में लागू आदेशों में अन्यथा प्रावधान हैं, की गणना के प्रयोजन से वेतन माना जाता रहेगा। इन आदेशों के तहत महंगाई भत्ते का अभिप्राय सातवें वेतन आयोग की संबंधित वेतन संरचना में केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर यथा-स्वीकृत महंगाई भत्ते से है।

(iii) प्रैक्टिस बंदी भत्ता उन चिकित्सा पदों तक सीमित बना रहेगा जिनके लिए भारतीय चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1956 अथवा दन्त चिकित्सा अधिनियम, 1948 के तहत मान्यता प्राप्त चिकित्सा अर्हता एक अनिवार्य अर्हता के रूप में निर्धारित की गई है। निम्नलिखित शर्तों को भी पूरा किया जाएगा जैसा कि अब तक किया जाता था:

(क) यह पद नैदानिक पद है।

(ख) यह पद पूर्णकालिक पद है।

(ग) निजी प्रैक्टिस की प्रचुर संभावना है, और

(घ) जनहित में निजी प्रैक्टिस को प्रतिबंधित करना आवश्यक है।

4. इन आदेशों के अनुसार प्रैक्टिस बंदी भत्ते की पुनरीक्षित दर 01 जुलाई, 2017 से लागू है।

5. रेल मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय और परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत चिकित्सा पदों के संबंध में इन मंत्रालयों के संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा आदेश अलग से जारी किए जाएंगे।

अमरनाथ सिंह.

(अमर नाथ सिंह)

निदेशक

सेवा में

सभी मंत्रालय एवं विभाग आदि।

प्रतिलिपि: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, रेल मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय और परमाणु ऊर्जा विभाग को उनके प्रशासनिक नियंत्रण वाली चिकित्सा सेवाओं के संबंध में आवश्यक आदेश जारी किए जाने के लिए अग्रेषित।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा आयुष मंत्रालय भी क्रमश: केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के अंतर्गत चिकित्सा पदों और 'आयुष' के अंतर्गत आने वाले पदों के संबंध में ऐसे ही आदेश जारी करें।